न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 01/2021
सीसीएमएस : 2021/6

1. रामेश्वरलाल पुत्र जयकिशन जाति बिश्नोई साकिन चक 1 एमके बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
2. रणजीत कौर पत्नी गोरखासिंह जाति मजहबी साकिन चक 1 एमके बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251क(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
1. श्री संजय कालीराना, वकील प्रार्थी
2. श्री राजेश धारणियां, वकील अप्रार्थी सं. 2

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक 1 एमके ए के मु.नं. 46 प.नं. 118/291 में पंहुचने के लिए अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 1 एमके ए के मु.नं. 54 प.नं. 117/292 के कि.नं. 1 में 0.013है, 10 में 0.013है., 11 में 0.012है, 20 में 0.012 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। उपरोक्त रास्ता स्वीकृत कराने में अप्रार्थीगण भी पूर्णतया सहमत हैं रास्ते में आने वाली अप्रार्थीगण की भूमि के बदले अप्रार्थीगण को डी.एल.सी दर के अनुसार कीमत अदा करने के लिए प्रार्थी सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 उक्त स्वीकृत किये जाने वाले रास्ता को बिना किसी प्रतिफल के स्वीकृत किये जाने में अपनी सहमती प्रदान करती हैं। प्रार्थीत अनुतोष चक 1 एमके ए के मु.नं. 54 प.नं. 117/292 के कि.नं. 1 में 0.013है, 10 में 0.013है., 11 में 0.012है, 20 में 0.012 है. बारानी भूमि में एक एक बिस्वा रास्ता बिना किसी प्रतिफल के स्वीकृत किया जाता है तो उसमें अप्रार्थी सं. 2 की पूर्णतया सहमति हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 418 दिनांक 12.03.2021 अनुसार "प्रार्थी रामेश्वरलाल पुत्र जयकिशन व मायादेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई के खेत मु.नं. 46 में आवागमन हेतु कोई रास्ता स्वीकृत शुद्धा नहीं हैं। प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन हेतु गंगनहर के पटडे पर चालू रास्ता से चक 1 एमके ए के प.नं. 117/292 मु.नं. 54 कि.नं. 1–10–11–20 प्रत्येक में 0.013–0.013है कुल 0.052है. रास्ता चाहा गया हैं। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु उक्त रास्ता निकटतम दूरी पर हैं। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। अतः प्रार्थी को अवागमन हेतु गंगनहर के पटडे पर चालू रास्ता से चक 1 एमके ए के प.नं. 117/292 मु.नं. 54 कि.नं. 1–10–11–20 प्रत्येक में 0.013है.–0.013है. कुल 0.052है. रास्ता स्वीकार किया जाना उचित हैं।"

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने अपनी बहस में बिना किसी प्रतिफल के प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 2 की भूमि में रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा रास्ता स्वीकृत करने पर सहमति जताई हैं एवं अप्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले कोई प्रतिफल भी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तथा तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा भी प्रेषित रिपोर्ट में रास्ता स्वीकृत करने की अभिशंषा की गयी हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज.काश्त. स्वीकार किया जाता हैं तथा चक 1 एमके ए तहसील [illegible] 117/292 के कि.नं. 1–10–11–20 प्रत्येक में 0.013है. कुल 0.052है. पश्चिमी दिशा में गै[illegible]कृत किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.03.2021 को लिखाया जाकर [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:00:20 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner